



Meticulous Investigation & Prosecution



BAGHPAT POLICE

अवैध शराब बेचने के आरोपी साकिब को पुलिस और अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पेरवी किए जाने पर हुआ 03 माह 13 दिन का कारावास व 4,000 रुपये अर्थदण्ड की सजा-



अवगत कराना है कि वर्ष 2021 में अभियुक्त साकिब पुत्र तसलीम निवासी पट्टी मेगर कस्बा व थाना बडौत जनपद बागपत द्वारा अवैध शराब बेचने की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना बडौत पर मु0अ0सं0 1052/2021 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया था। इस अभियोग में श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत के निर्देशन में पुलिस व अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पेरवी की गयी, जिसके परिणामस्वरूप दिनांक 19.03.2026 को मा0 न्यायालय सी.जे.एम. जनपद बागपत द्वारा अभियुक्त साकिब को दोषी पाते हुए 03 माह 13 दिन के कारावास व 4,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

प्रभावी पेरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाना बागपत पुलिस की प्राथमिकता है तथा बागपत पुलिस का अभियुक्तों के विरुद्ध प्रभावी पेरवी कर सजा दिलाने का अभियान निरन्तर जारी रहेगा।

 @baghpatpolice

 baghpatpolice

 Baghpat Police





प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना छपरौली

दिनांक-20.03.2026

थाना छपरौली पुलिस ने सट्टे की खाई बाडी करते हुये 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से एक छोटी डायरी, 03 सट्टा पर्ची व कुल 640/- रुपये नगद बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं जुआ/सट्टा खेलने वाले अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना छपरौली पुलिस द्वारा सट्टे की खाई बाडी करते हुये 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। जिसके कब्जे से एक छोटी डायरी, 03 सट्टा पर्ची व 640/- रुपये नकद बरामद हुए है।



उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना छपरौली पर अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

सुहेल पुत्र कयूम नि0 ग्राम कुर्डी थाना छपरौली जनपद बागपत उम्र करीब 22 वर्ष

बरामदगी का विवरण-

- एक छोटी डायरी
- 03 सट्टा पर्ची
- कुल 640/- रुपये नकद

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 वृक्षपाल सिंह थाना छपरौली जनपद बागपत ।

2. का0 504 सहायक थाना छपरौली जनपद बागपत ।

3.का0 687 दीपक कुमार थाना छपरौली जनपद बागपत ।



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना खेकड़ा

दिनांक- 20.03.2026

थाना खेकड़ा पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 79/26 धारा 303(2) बीएनएस की घटना का सफल अनावरण करते हुए 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से चोरी की हुई एक बैटरी AMARON कम्पनी बरामद ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक - 18.03.2026 को थाना खेकड़ा पर वादी विजेन्द्र शर्मा पुत्र श्री फकीरचन्द शर्मा निवासी शाह गार्डन कस्बा व थाना खेकड़ा जनपद बागपत ने तहरीर दी कि किन्हीं अज्ञात व्यक्ति द्वारा वादी की गाडी Tata Ace नं0 HR 69 E 9722 की बैटरी (AMARON) को चोरी कर लिया है । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना खेकड़ा पर मु0अ0सं0 79/26 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया ।



कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम हेतु एवं चोरो/वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना खेकड़ा पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 79/26 धारा 303(2) बीएनएस का सफल अनावरण करते हुए एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है । जिसके कब्जे से चोरी की हुई एक बैटरी AMARON कम्पनी की बरामद हुई है ।

नोट- मु0अ0सं0 79/26 धारा 303(2) बीएनएस में बरामदगी के आधार पर धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी ।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना खेकड़ा पर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1. आमिर उर्फ चील पुत्र हाजी हसन निवासी मौ0 शेखपुरा कस्बा व थाना खेकड़ा जनपद बागपत उम्र करीब 19 वर्ष।

बरामदगी का विवरण-

- एक बैटरी AMARON कम्पनी की।

अभियुक्त आमिर उर्फ चील का अपराधिक इतिहास

1-मु0अ0स0 367/24 धारा 304(2)/317(2)/317(5) बीएनएस थाना खेकड़ा जनपद बागपत।

2-मु0अ0स0 23/25 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना खेकड़ा जनपद बागपत।

3-मु0अ0सं0 79/26 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना खेकड़ा जनपद बागपत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-


1-उ0नि0 श्री धर्मपाल शर्मा थाना खेकड़ा जनपद बागपत।

2- उ0नि0 श्री विकास कुमार थाना खेकड़ा जनपद बागपत।

3- है0का0 53 रविन्द्र कुमार थाना खेकड़ा जनपद बागपत।

4- है0का0 785 सुनील कुमार थाना खेकड़ा जनपद बागपत।

5-का0 247 निशान्त शर्मा थाना खेकड़ा जनपद बागपत।





प्रेस नोट जनपद बागपत
थाना कोतवाली बागपत

दिनांक 20.03.2026

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 34/26 धारा
191(2)/190/109(1)/352 बी.एन.एस में वांछित एक अभियुक्त को किया
गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 16.01.2026 को थाना कोतवाली बागपत पर वादी रोहित कुमार पुत्र श्री इन्द्रपाल सिंह निवासी ग्राम काठा थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ने लिखित प्रार्थना पत्र दिया कि अभियुक्तों 1.काले पुत्र हरपी, 2. मोनू पुत्र हरपी, 3. कुलदीप पुत्र मदन, 4.गौरव पुत्र जसवीर, 5.अंकुर पुत्र राममेहर नि0गण ग्राम लुहारी थाना बडौत जनपद बागपत द्वारा वादी के घर के सामने आकर गाली-गलौच करते हुये जान से मारने की नियत से तमंचो से



फायर करना । इस सम्बन्ध में प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना कोतवाली बागपत पर मु0अ0सं0 34/26 धारा 191(2)/190/109(1)/352 बीएनएस पंजीकृत किया गया ।

नोट- उपरोक्त अभियोग में थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा दिनांक 17-01-2026 को 01 अभियुक्त अंकुर पुत्र राममेहर को गिरफ्तारी किया जा चुका है।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 34/26 धारा 191(2)/190/109(1)/352 बीएनएस में वांछित 01 अभियुक्त गौरव पुत्र जसवीर उर्फ यशवीर को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

गौरव पुत्र जसवीर उर्फ यशवीर निवासी ग्राम लुहारी थाना बडौत जनपद बागपत ।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 499/2016 धारा 147/148/149/302/307/34/504 भादवि थाना बडौत जनपद बागपत ।
2. मु0अ0सं0 505/2016 धारा 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना बडौत जनपद बागपत ।
3. मु0अ0सं0 1255/2016 धारा 506 भादवि थाना बडौत जनपद बागपत ।
4. मु0अ0सं0 103/2017 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना बडौत जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1- उ0नि0 श्री उत्कर्ष गुप्ता थाना बागपत जनपद बागपत ।
- 2- उ0नि0 श्री अनिल कुमार थाना बागपत जनपद बागपत ।
- 3- है0का0 853 उमेश कुमार थाना बागपत जनपद बागपत ।
- 4- का0 1130 सोनू कुमार थाना बागपत जनपद बागपत ।





प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना सिंघावली अहीर

दिनांक 20.03.2026

थाना सिंघावली अहीर पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 78/26 धारा -
191(2)/191(3)/190/131/103(1) बीएनएस में वांछित प्रकाश में आये 01
अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 04.03.2026 को थाना सिंघावली अहीर पर वादी श्री राजकिशोर पुत्र नत्थूलाल निवासी ग्राम बडावद थाना बिनौली जनपद बागपत ने लिखित तहरीर दी कि अभियुक्तों 1. चिंकू पुत्र मप्पल, 2. सुहैल पुत्र महबूब, 3. अनस पुत्र सीनू, 4. शौकीन पुत्र मीनू निवासीगण ग्राम



तितरौदा थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत व 5. ग्राम तितरौदा का भांजा सुहैल निवासी अज्ञात द्वारा एकराय होकर उसके पुत्र अमृत उम्र करीब 17 वर्ष, सागर उर्फ सरवन तथा उनके दोस्त कार्तिक व बोबी पर चाकू से जान से मारने की नीयत से हमला कर दिया, जिसमें उसके पुत्र अमृत उम्र करीब 17 वर्ष की आस्था हॉस्पिटल बड़ौत ले जाते समय मृत्यु हो गयी। इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना सिंघावली अहीर पर मु0अ0सं0 78/26 धारा 191(2)/191(3)/190 /131/103(1)/109(1) बी.एन.एस पंजीकृत किया गया है एवं अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

नोट- उपरोक्त अभियोग में थाना सिंघावली अहीर पुलिस द्वारा दिनांक 06-03-2026 को 05 अभियुक्तों 1. सुहैल पुत्र महबूब, 2. साजिद पुत्र अलीहसन, 3. चिंकू पुत्र महीपाल उर्फ

मम्पल, 4. अनस पुत्र सीनू व 5. सुहैल पुत्र निजामू उर्फ निजामूद्दीन को गिरफ्तार कर आलाकत्ल 02 अवैध चाकू बरामद किये जा चुके हैं।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना सिंघावली अहीर पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 78/26 धारा -191(2)/191(3)/190/131/103(1) बीएनएस में वांछित प्रकाश में आये 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

शौकीन उर्फ मोन्टी पुत्र मीनू उर्फ मईनुद्दीन उम्र करीब 19 वर्ष निवासी ग्राम तितरौदा थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री नकुल राठी थाना सि0अहीर जनपद बागपत।
- 2-है0का0 689 बिपिन कुमार थाना सि0अहीर जनपद बागपत।
- 3-का0 633 जहाँगीर पवार थाना सि0अहीर जनपद बागपत।

